अहकाम व ता
हुक्म जो
में जारी तामी
हुए।

राजेन्द्र वगै0 बनाम सरदारा वगै0
मु0नं0 168/2021
दावा अ0धा0 53, 188

दिनांक –14.06.2022 आज यह पत्रावली वकील वादी की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर "प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलोअप मेगा कैम्प पंचायत समिति सूरजगढ़ में तबल की गई। वादीगण की ओर से श्री मदनसिंह राठौड़ एड. व प्रतिवादी नं0 1 की ओर से संजू तंवर एड. ने उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./22/206 दिनांक 02.02.2022 के मुताबिक अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 647, 651, 652, 653 वाके मौजा किढ़वाना का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./22/206 दिनांक 02.02.2022 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

135
20.6.2

प्रभारी अधिकारी
(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़